बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001

(पंजीयन सं०–633/2003)

E-mail : basa_bihar@yahoo.com

पत्रांक : 03 दिनांक 28/11/2009

अध्यक्ष

अरूण चन्द्र मिश्र

(M) 9835281295

(M) 9939469410

(R) 0612-2526123

+++

उपाध्यक्ष

* शम्भु नाथ मिश्र

(M) 9431619672

(O) 9334387630

(F) 0612-2504498

(R) 0612-2288139

* अखलाक अहमद

(M) 9934280177

(O) 0612-2219693

+++

महासचिव

सुशील कुमार

(M) 9431091417

(O) 9431818484

+++

संयुक्त सचिव

* राजयनन्द बडियार

(M) 9431093157

(O) 9431818010

* अनिल कुमार

(M) 9431409463

+++

कोषाध्यक्ष

चन्द्र शेखर सिंह

(M) 9334131351

+++

संयुक्त कोषाध्यक्ष

सोमेश बहादुर माथुर

(M) 9431407901

(O) 9334387555

सेवा में,

सदस्य सचिव,
वेतन समिति,
कमरा न0– 430, चतुर्थ मंजिल,
विश्वेशरैया भवन,
बेली रोड, पटना।

03
28/11/2009

पाँच प्रति पाया

विषय : **केन्द्रीय कर्मियों की भांति पुनरीक्षित वेतनमान में प्रोन्नति का लाभ एवं अन्य भत्ते/सुविधाऐं के संबंध में मांग पत्र।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में समिति का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि वित्त विभाग के संकल्प संख्या 362–वि0 (2) दिनांक 17–1–09 के द्वारा षष्टम केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा का वैचारिक पुनरीक्षण दिनांक 1–1–06 से तथा वास्तविक लाभ दिनांक 1–4–07 की तिथि से देने का आदेश निर्गत किया गया है तथा संकल्प संख्या– 363–वि0 (2) दिनांक 17.01.09 के द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारियों का अनुमोदित वेतनमान का उत्क्रमण कर वैचारिक लाभ दिनांक 1–1–06 से दिया गया है। संघ की यह मांग है कि यह लाभ 01.01.96 के प्रभाव से दिया जाय।

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ राज्य सरकार के द्वारा निर्गत संकल्प में प्रोन्नति के मामले में तथा अन्य विभिन्न भत्तों/पेंशन एवं प्रोन्नति का लाभ देने के संबंध में निम्नवत् अपनी मांगे समिति के समक्ष विचारार्थ रखती है –

1– वेतन पुनरीक्षण का आर्थिक लाभ दिनांक 1–1–06 की तिथि से दिया जाय।

2– वेतन वृद्धि –

उक्त संकल्प में दिनांक 1–1–06 के बाद एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में प्रोन्नत होने पर वेतन निर्धारण मे एक वेतन वृद्धि जोड़ने का आदेश निर्गत किया गया है। बिहार प्रशासनिक सेवा संघ की यह मांग है कि वेतन बैण्ड–III के पदाधिकारियों का उत्कृष्ट कार्य निष्पादित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार के भांति इस बैण्ड के 20 प्रतिशत पदाधिकारियों को 4 प्रतिशत के उच्चतर दर से वेतन वृद्धि दी जाय, शेष 80 प्रतिशत पदाधिकारियों को 3 प्रतिशत वेतनवृद्धि दी जाय ।

3– प्रोन्नति का लाभ –

इसके अतिरिक्त बिहार प्रशासनिक सेवा संघ की यह मांग है कि पे बैण्ड–III में एक ग्रेड वेतन से दूसरे ग्रेड वेतन में प्रोन्नति होने पर केन्द्रीय सरकार के कर्मियों की भांति दो वेतन वृद्धि देकर वेतन निर्धारण किया जाय।

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001

(पंजीयन सं०–633/2003)

E-mail : basa_bihar@yahoo.com

पत्रांक :..03..............................   दिनांक ..28/1/2009.......

अध्यक्ष

अरूण चन्द्र मिश्र
(M) 9835281295
(M) 9939469410
(R) 0612-2526123

उपाध्यक्ष

* शम्भु नाथ मिश्र
(M) 9431619672
(O) 9334387630
(F) 0612-2504498
(R) 0612-2288139

* अखलाक अहमद
(M) 9934280177
(O) 0612-2219693

महासचिव

सुशील कुमार
(M) 9431091417
(O) 9431818484

संयुक्त सचिव

* राजयनन्द बडियार
(M) 9431093157
(O) 9431818010

* अनिल कुमार
(M) 9431409463

कोषाध्यक्ष

चन्द्र शेखर सिंह
(M) 9334131351

संयुक्त कोषाध्यक्ष

सोमेश बहादुर माथुर
(M) 9431407901
(O) 9334387555

सेवा में,

सदस्य सचिव,
वेतन समिति,
कमरा न0– 430, चतुर्थ मंजिल,
विश्वेशरैया भवन,
बेली रोड, पटना।

विषय : **केन्द्रीय कर्मियों की भांति पुनरीक्षित वेतनमान में प्रोन्नति का लाभ एवं अन्य भत्ते/सुविधाऐं के संबंध में मांग पत्र।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में समिति का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि वित्त विभाग के संकल्प संख्या 362–वि0 (2) दिनांक 17–1–09 के द्वारा षष्टम केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा का वैचारिक पुनरीक्षण दिनांक 1–1–06 से तथा वास्तविक लाभ दिनांक 1–4–07 की तिथि से देने का आदेश निर्गत किया गया है तथा संकल्प संख्या– 363–वि0 (2) दिनांक 17.01.09 के द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारियों का अनुमोदित वेतनमान का उत्क्रमण कर वैचारिक लाभ दिनांक 1–1–06 से दिया गया है। संघ की यह मांग है कि यह लाभ 01.01.96 के प्रभाव से दिया जाय।

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ राज्य सरकार के द्वारा निर्गत संकल्प में प्रोन्नति के मामले में तथा अन्य विभिन्न भत्तों/पेंशन एवं प्रोन्नति का लाभ देने के संबंध में निम्नवत् अपनी मांगे समिति के समक्ष विचारार्थ रखती है –

1– वेतन पुनरीक्षण का आर्थिक लाभ दिनांक 1–1–06 की तिथि से दिया जाय।

2– वेतन वृद्धि –

उक्त संकल्प में दिनांक 1–1–06 के बाद एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में प्रोन्नत होने पर वेतन निर्धारण मे एक वेतन वृद्धि जोड़ने का आदेश निर्गत किया गया है। बिहार प्रशासनिक सेवा संघ की यह मांग है कि वेतन बैण्ड–III के पदाधिकारियों का उत्कृष्ट कार्य निष्पादित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार के भांति इस बैण्ड के 20 प्रतिशत पदाधिकारियों को 4 प्रतिशत के उच्चतर दर से वेतन वृद्धि दी जाय, शेष 80 प्रतिशत पदाधिकारियों को 3 प्रतिशत वेतनवृद्धि दी जाय ।

3– प्रोन्नति का लाभ –

इसके अतिरिक्त बिहार प्रशासनिक सेवा संघ की यह मांग है कि पे बैण्ड–III में एक ग्रेड वेतन से दूसरे ग्रेड वेतन में प्रोन्नति होने पर केन्द्रीय सरकार के कर्मियों की भांति दो वेतन वृद्धि देकर वेतन निर्धारण किया जाय।

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ की यह मांग है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मियों को स्वीकृति यात्रा भत्ता के अनुरूप ही बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को भी 7600/–रू0, 8700/–रू0 एवं 8900/–रू0 ग्रेड वेतन पाने वाले पदाधिकारियों को वायुयान में इकनोमिकली क्लास अथवा रेल में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में यात्रा करने हेतु अधिकृत किया जाय।

ग्रेड वेतन 5400/–रू0 एवं 6600/–रू0 पाने वाले पदाधिकारियों को वायुयान के सामान सरकार में यात्रा/रेलगाड़ी में द्वितीय वातानुकूलित श्रेणी से यात्रा करने हेतु अनुमति दी जाय।

निजी कार/टैक्सी से यात्रा करने हेतु सड़क यात्रा की अनुमति देते हुए 16/–रू0 प्रति कि0मी0 की दर से भुगतान तथा आटो रिक्शा/निजी स्कूटर से यात्रा करने पर 8/–रू0 प्रति किलो मीटर की दर से भुगतान की अनुमान्यता दी जाय।

दैनिक भत्ता – 7600/–रू0, 8700/–रू0 एवं 8900/–रू0 ग्रेड वेतन वाले पदाधिकारियों को होटल व्यय के रूप में प्रति दिवस तीन हजार रूपया तथा यात्रा के स्थान पर स्थानीय भ्रमण हेतु 50 कि0 मी0 तक नन ए0सी0 टैक्सी कार की प्रतिपूर्ति तथा भोजन के रूप में 300/–रू0 प्रतिदिन के रूप में अनुमान्यता दी जाय।

5400/–रू0 तथा 6600/–रू. ग्रेड प्राप्त करने वाले पदाधिकारियों को होटल आवास के लिए 1500/–रू0 प्रति दिन तथा यात्रा के स्थान पर स्थानीय भ्रमण हेतु 150/–रू0 प्रतिदिन टैक्सी चार्ज की प्रतिपूर्ति तथा भोजन मद में 200/–रू0 प्रतिदिन की प्रतिपूर्ति की अनुमान्यता दी जाय ।

6 स्थानान्तरण भत्ता एवं पैकिंग भत्ता–

केन्द्रीय सरकार के कर्मियों की भांति 20 कि0मी0 से अधिक की दूरी पर स्थानान्तरण होने पर एक महीने के मूल वेतन के बराबर तथा 20 कि0 मी0 के अन्दर स्थानान्तरण होने पर एक माह के वेतन का 1/3 भाग स्थानान्तनरण भत्ता के रूप में अनुमान्यता दी जाय।

7 वैयक्तिक सामानों की परिवहन भत्ता –

निजी सामानों का रेल से ले जाने पर 60 क्विंटल तक तथा सड़क द्वारा परिवहन करने पर 18/–रू0 प्रति किलो मीटर की दर से अनुमान्यता दी जाय।

8 एल0टी0सी0 –

वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा एल0टी0सी0 की प्रदत्त सुविधा में बिहार प्रशासनिक सेवा संघ अमूल परिवर्तनकेन्द्रीय कर्मियों की भांति करने की मांग करती है । पदाधिकारियों को एल0 टी0 सी0 की सुविधा मिले, इसके लिए यह आवश्यक है कि इसका सीमा राज्य के अन्दर तक ही नहीं रखी जाय बल्कि भारत के अन्य राज्यों में भी भ्रमण करने की सुविधा उपलब्ध हो ।

इसके साथ ही 4 वर्षो के ब्लौक में सेवा काल में कम से कम दो बार राज्य से बाहर की यात्रा करने की सुविधा दी जाय ।

9 विशेष वेतन –

केन्द्रीय सरकार के भांति राज्य सरकार के द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को सचिवालय में पदस्थापित होने पर उनके मूल वेतन का 10 प्रतिशत अधिकतम 4,000/–रू0 रूपया विशेष वेतन के रूप में अनुमान्यता दी जाय।

10 प्रतिनियुक्ति भत्ता–

बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति वाह्य सेवा शर्त्तों पर लोक उपक्रमों में यदि उसी शहर में किया जाय तो मूल वेतनका 5 प्रतिशत तथा अधिकतम 2,000/–रू0 तथा शहर बदलने पर मूल वेतन का 10 प्रतिशत अधिकतम 4,000/–रू0 प्रतिनियुक्ति भत्ता की अनुमान्यता दी जाय।

11 कठिन परिश्रम भत्ता–

बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को कार्य के परिस्थिति को देखते हुए सरकार के द्वारा वर्तमान में 75/–रू0 तथा अपर समाहर्त्ता कोटि के पदाधिकारियों को 100/–रू0 प्रतिमाह विशेष वेतन अनेक वर्षो से स्वीकृत है जो वेतन पुनरीक्षण के बाद यह राशि नगण्य के बराबर है। अतएव बिहार प्रशासनिक सेवा संघ यह मांग करती है कि अपर समाहर्त्ता से नीचे के कोटि के पदाधिकारियों को 500/–रू0 तथा अपर समाहर्त्ता कोटि के पदाधिकारियों को 1,000/– रू. प्रतिमाह कठिन परिश्रम भत्ता के रूप में अनुमान्यता दी जाय ।

12 परिवहन भत्ता –

केन्द्र सरकार के द्वारा अपने कर्मियों को परिवहन भत्ता के रूप में 5400/–रू0 और उससे उपर के ग्रेड वेतन पाने वाले पदाधिकारियों को श्रेणी 'ए' को छोड़कर 1600/–रू0 और उस पर महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है।

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ की यह मांग है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को भी केन्द्र सरकार के अनुरूप परिवहन भत्ता की अनुमान्यता दी जाय ।

13 शिक्षण भत्ता –

केन्द्रीय सरकार के कर्मियों की तरह बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को शिक्षा भत्ता के रूप में 1,000/–रू0 प्रति बच्चा प्रति माह (अधिकतम दो बच्चों के लिए) तथा छात्रावास भत्ता 3,000/–रू0 प्रतिमाह अनुमान्यता दी जाय।

14 चिकित्सा भत्ता –

(क) केन्द्रीय कर्मियों की तरह बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को भी बर्हिवासी एवं अन्तरवासी चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान की जाय।

(ख) बिहार प्रशासनिक सेवा के महिला पदाधिकारियों को मातृत्व अवकाश 180 दिन स्वीकृत की जाय।

15 सेवान्त लाभ –

(क) पेंशन –

केन्द्रीय सरकार के द्वारा पूर्ण पेंशन हेतु 33 वर्षों की सेवा की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है । यह मांग बिहार प्रशासनिक सेवा की बहुत पूर्व से ही रही है । केन्द्रीय सरकार के भांति बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को भी पूर्ण पेंशन हेतु 33 वर्षो की सेवा की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया जाय तथा सेवा निवृत्ति के समय प्राप्त वेतन का 50 प्रतिशत या 10 माह का औसत वेतन, दोनों में जो भी लाभप्रद हो उसकी अनुमान्यता दी जाय।

इसके साथ ही केन्द्रीय सरकार के अनुरूप पेंशन प्राप्त सेवा निवृत्त पदाधिकारियों को पेंशन पुनरीक्षण अधिक उम्र प्राप्त करने पर निम्नवत् किया जाय –

80 से 85 वर्ष	20 प्रतिशत
85 से 90 वर्ष	30 प्रतिशत
90 से 95 वर्ष	40 प्रतिशत

95 से 100 वर्ष	50 प्रतिशत
100 से उपर	100 प्रतिशत

(ख) पारिवारिक पेंशन –

पारिवारिक पेंशन मूल वेतन का 30 प्रतिशत न्यूनतम 3500/– रू0 प्रतिमाह की जाय। अपंगता की स्थिति में सेवा निवृत पदाधिकारी को न्यूनतम 3000/– रू0 प्रतिमाह अतरिक्त एटेन्डेन्ट भत्ता भुगतान की जाय।

16 उपादान –

केन्द्रीय सरकार की तरह बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को भी उपादान मद में अधिकतम उपादान की सीमा 10 लाख निधार्रित की जाय।

17 अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले समतुल्य राशि का भुगतान–

अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के रूप में 300 दिनों का देय उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के समय यदि उपार्जित अवकाश कम हो रहा हो तो उस अवस्था में देय अर्द्ध वैतनिक अवकाश को उपार्जित अवकाश के रूप में गणना करने का आदेश केन्द्रीय सरकार के कर्मियों के अनुरूप करने की अनुमान्यता दी जाय ।

सेवा में मृत्यु होने पर देय उपार्जित अवकाश के बदले नगद राशि की प्राप्ति हेतु केन्द्र सरकार द्वारा निम्नवत् पात्रता का निर्धारण किया गया है। उसी के अनुरूप बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के आश्रितों को भी सुविधा दी जाय।

क– विधवा सबसे बड़ी जीवित विधवा (विवाह की तिथि के सन्दर्भ के साथ) या पति
ख– जीवित सबसे बड़ा पुत्र या कोई दतक पुत्र
ग– सबसे बड़ी जीवित अविवाहित पुत्री
घ– सबसे बड़ी जीवित विधवा पुत्री
च– पिता
छ– माता
ज– सबसे बड़ी जीवित विवाहिता पुत्री
झ– सबसे बड़ा जीवित भाई जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो
ट– सबसे बड़ी जीवित अविवाहित बहन
ठ– जीवित सबसे बड़ी विधवा बहन, और
ड– असमय काल कवलित सबसे बड़े पुत्र के सबसे बड़ी संतान

(सुशील कुमार)
महासचिव

(ए0 सी0 मिश्र)
अध्यक्ष

my document\Basa\Basa-demand letter 28.1.09

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001

(पंजीयन सं०–633/2003)

E-mail : basa_bihar@yahoo.com

पत्रांक : .... दिनांक ....

अध्यक्ष
अरूण चन्द्र मिश्र
(M) 9835281295
(M) 9939469410
(R) 0612-2526123
+++
उपाध्यक्ष
* शम्भु नाथ मिश्र
(M) 9431619672
(O) 9334387630
(F) 0612-2504498
(R) 0612-2288139
* अखलाक अहमद
(M) 9934280177
(O) 0612-2219693
+++
महासचिव
सुशील कुमार
(M) 9431091417
(O) 9431818484
+++
संयुक्त सचिव
* राजयनन्द बडियार
(M) 9431093157
(O) 9431818010
* अनिल कुमार
(M) 9431409463
+++
कोषाध्यक्ष
चन्द्र शेखर सिंह
(M) 9334131351
+++
संयुक्त कोषाध्यक्ष
सोमेश बहादुर माथुर
(M) 9431407901
(O) 9334387555

16 उपादान –

केन्द्रीय सरकार की तरह बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को भी उपादान मद में अधिकतम उपादान की सीमा 10 लाख निधार्रित की जाय।

17 **अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले समतुल्य राशि का भुगतान–**

अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के रूप में 300 दिनों का देय उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के समय यदि उपार्जित अवकाश कम हो रहा हो तो उस अवस्था में देय अर्द्ध वैतनिक अवकाश को उपार्जित अवकाश के रूप में गणना करने का आदेश केन्द्रीय सरकार के कर्मियो के अनुरूप करने की अनुमान्यता दी जाय ।

सेवा में मृत्यु होने पर देय उपार्जित अवकाश के बदले नगद राशि की प्राप्ति हेतु केन्द्र सरकार द्वारा निम्नवत् पात्रता का निर्धारण किया गया है। उसी के अनुरूप बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के आश्रितों को भी सुविधा दी जाय।

क– विधवा सबसे बड़ी जीवित विधवा (विवाह की तिथि के सन्दर्भ के साथ) या पति

ख– जीवित सबसे बड़ा पुत्र या कोई दतक पुत्र

ग– सबसे बड़ी जीवित अविवाहित पुत्री

घ– सबसे बड़ी जीवित विधवा पुत्री

च– पिता

छ– माता

ज– सबसे बड़ी जीवित विवाहिता पुत्री

झ– सबसे बड़ा जीवित भाई जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो

ट– सबसे बड़ी जीवित अविवाहित बहन

ठ– जीवित सबसे बड़ी विधवा बहन, और

ड– असमय काल कवलित सबसे बड़े पुत्र के सबसे बड़ी संतान

(सुशील कुमार)
महासचिव

(ए० सी० मिश्र)
अध्यक्ष